



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA



www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/45

वि.वि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26

06 जून 2025

सभी बैंक

महोदया/महोदय

सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन

कृपया उपर्युक्त विषय पर [मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \[आरक्षित नकदी निधि अनुपात \(सीआरआर\) और सांविधिक चलनिधि अनुपात \(एसएलआर\)\] निदेश - 2021](#) के खंड VIII तथा हमारे [दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र वि.वि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26](#) का संदर्भ लें।

2. जैसा कि [दिनांक 06 जून 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26](#) में घोषित किया गया है, बैंक दर में तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.25 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत किया जाता है। तदनुसार, सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं, उन्हें भी निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

बैंक दर से जुड़ी दंडात्मक ब्याज दरें

मद	मौजूदा दर	संशोधित दर (तत्काल प्रभाव से)
आरक्षित आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि के आधार पर)	बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (9.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (11.25 प्रतिशत)	बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (8.75 प्रतिशत) अथवा बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (10.75 प्रतिशत)

भवदीय

(मनोरंजन पाढी)

मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, नरीमन भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
Department of Regulation, Central Office, 12th & 13th Floor, Nariman Bhavan, Nariman Point, Mumbai 400021
बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.